

10/न-07/17 —

970
21/9/17

बैठक की कार्यवाही

दिनांक-13.09.2017 को राज्य के निजी विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0/आई0सी0 एस0 ई0 बोर्ड से संबंधता प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में निर्णय हेतु माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आहुत बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

- (1) प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना -
- (2) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बिहार, पटना -
- (3) विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना -
- (4) उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना -

बैठक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये :-

प्रस्ताव संख्या-1

विद्यालय प्रबंधन से प्राप्त प्रस्ताव एवं विद्यालय प्रबंधन द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र के माध्यम से प्राप्त कागजातों के आधार पर सम्यक विचारोपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया :-

क्र० चे० लि०

क्र०

- (1) (1) कार्डीनेसिस इन्टरनेशनल स्कूल, शंकर नगर बरनी, मसौड़ी।
- (2) (2) डेडिकेटेड पब्लिक स्कूल, दीना बिहार, करवन्द्रिया सासाराम।
- (3) (3) सिद्धार्थ फाउण्डेशन स्कूल, कहथू-मसूड़ी जगदीशपुर।
- (4) (5) ईश्वरचन्द्र विद्यासागर अकादमी, भगवती विहार, गोरसराय, सासाराम (रोहतास)।
- (5) (6) प्रताप इन्टरनेशनल स्कूल, गोधना रोड अनेथ, आरा (भोजपुर)।
- (6) (7) संस्कार इन्टरनेशनल स्कूल, जटीय गोरीचक, पटना।
- (7) (8) आर०एल० इन्टरनेशनल स्कूल, पिपरा बेतिया, (पश्चिम चम्पारण)।
- (8) (10) देल्ही पब्लिक स्कूल, शेखपुरा।
- (9) (11) बुद्धा वुडलेण्ड स्कूल, दलसिगसराय, समस्तीपुर।
- (10) (12) देल्ही पब्लिक स्कूल, मुक्तापुर, शेखपुर, वारिस नगर, समस्तीपुर।
- (11) (13) रामकृष्ण विवेकानन्द विद्या मंदिर, मंझरिया, बैरिया, पश्चिम चम्पारण।
- (12) (14) ज्ञान लोक पब्लिक स्कूल, विशुनपुर, किशनेदव खैरवा दर्प, शिवहर।
- (13) (17) केम्ब्रीज स्कूल, डुमराँव बक्सर।

- (14) (20) आनन्द पब्लिक स्कूल, सबौर, भागलपुर।
- (15) (21) एस0 डी0 भी0 पब्लिक स्कूल, कुरथौल, पटना।
- (16) (22) चिल्ड्रेन गार्डेन स्कूल, केकरा भभुआ, कैमूर।
- (17) (23) श्री राम जानकी सरस्वती विद्या निकेतन, बक्सर।
- (18) (26) ज्ञान गंगा पब्लिक, स्कूल, बक्सर।
- (19) (27) संत जेवियर एकेडमी, सूर्यापुरा बेगुसराय।
- (20) (28) जेसस मेरी कान्वेंट स्कूल, जमाल रोड़, पटना। (आई0 सी0 एस0 ई0)
- (21) (29) वनस्थली ज्ञानपीठ कुरथौल, फुलवारी शरीफ पटना।
- (22) (30) लीडस इन्टरनेशनल स्कूल, परसा, पटना।
- (23) (31) गार्ड लाईन पब्लिक स्कूल, मसौढ़ी।
- (24) (32) माउन्ट लीटरा जी स्कूल, दानापुर, पटना।
- (25) (34) बेथेल मिशन स्कूल, के0 बी0 झा रोड़, कटिहार।
- (26) (35) ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल, हरदा, पूर्णिया।
- (27) (36) शाईनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, बड़रम, बाकरगंज, हुसैनगंज, सिवान।
- (28) (37) मोरल डेभलेपमेंट पब्लिक स्कूल, आरा रोड़ बिहटा।
- (29) (38) के0 के0 पब्लिक स्कूल, नेपुरा, नालंदा।
- (30) (39) आर0 बी0 एस0 पब्लिक स्कूल, कुल्हड़िया, कर्मनाशा, कैमूर।
- (31) (41) इडिफी स्कूल, मरची माहुली, पटना।
- (32) (42) डेफोडिल इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, बख्तियापुर, पटना।
- (33) (43) भी0 ए0 होली मिशन हाई स्कूल, बरवा मोतिहारी।
- (34) (44) दी संस्कार वैली स्कूल, मिरदादपुर, गुरारू, गया।
- (35) (49) बुद्धा पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, पूर्वी चम्पारण।
- (36) (50) श्लोका अ बिरला स्कूल, तुर्की, मुजफ्फरपुर।
- (37) (54) पोद्दार इन्टरनेशनल स्कूल, समस्तीपुर।
- (38) (56) ब्राइट केरियर ऐकेडमी, महिसारी, समस्तीपुर।
- (39) (57) माउन्ट कार्मेल इंगलिश स्कूल, परोड़ा, पूर्णिया।
- (40) (58) सुफिया पब्लिक स्कूल, एस0 के0 जी0 चीनी गील, बाई पास रोड़ सिवान-841226।
- (41) (59) महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर, पंचमंदिरा, बरहन गोपाल, सीवान।
- (42) (61) हरे राम सेन्ट्रल स्कूल, फुलवरिया, सिवान।
- (43) (64) विवेकानन्द इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, V.I.P गोलम्बर, मुकोरा, छपरा।
- (44) (65) शारदा विद्यापीठ, मिश्री महल, बरान्ती, बिदुपुर, हाजीपुर, वैशाली।
- (45) (66) मानव भारती पब्लिक स्कूल, पहाड़पुर गया।
- (46) (67) लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, ओबरा, औरंगाबाद।
- (47) (68) स्कूल ऑफ इनलाइमेंट, बैरिया गोपालपुर, पटना।
- (48) (69) मेफिल्ड ग्लोबल स्कूल सत्तर, पटना।
- (49) (70) सरस्वती शिशु मंदिर, रोसड़ा समस्तीपुर।

- (50) (71) डी0 ए0 भी0 पब्लिक स्कूल, बनियापुर, सारण।
 (51) (72) विशॉप स्काट स्कूल, दहियावा टोला, टारी, सारण।
 (52) (75) ग्लोबल प्रतिभा स्कूल, अशियाना नगर, पटना।
 (53) (76) संस्कृति पब्लिक स्कूल, मंझोल बेगुसराय।
 (54) (82) एम0 जी0 एम0 पब्लिक स्कूल चंगेल, मुजफ्फरपुर।
 (55) (83) उज्ज्वल वर्ल्ड स्कूल, कसियामा, जहानाबाद।
 (56) (84) इंडियन पब्लिक स्कूल, हाजीपुर अजमतपुर, वैशाली।
 (57) (88) सेठ एम0 आर0 जयपुरिया स्कूल, कोरजी पटना।
 (58) (91) के0 एन0 एस0 पब्लिक स्कूल, कुशहर, शिवहर।
 (59) (92) यू0 पी0 एस0 पब्लिक स्कूल, प्राणपुर, बेरई, वैशाली।
 (60) (93) संत माइकेल पब्लिक स्कूल, देसरी, वैशाली।
 (61) (96) कोलम्बस इंगलीश एकेडमी, शाहकुंड, भागलपुर।
 (62) (101) हेजेल उड स्कूल, हसनपुरा, बजार समिति साढ़ा रोड़, छपरा।
 (63) (105) जज्बा वर्ल्ड स्कूल, जिनोरचक, गया।
 (64) (106) मानस इंटरनेशनल स्कूल, सुरजपुर तुलसी हुलासगंज, जहानाबाद।

प्रस्ताव संख्या-2

विद्यालय प्रबंधन से प्राप्त प्रस्तावों के समीक्षोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्न विद्यालयों के संबंध में त्रुटीपूर्ण/अस्पष्ट कागजात प्राप्त होने के कारण प्रस्ताव को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। संबंधित विद्यालयों द्वारा वांछित कागजात प्राप्त कर आगामी बैठक में विचारार्थ रखने का निर्णय लिया गया। वैसे विद्यालय निम्नवत हैं :-

- (1) माता मंगरी कुअर उच्च मध्य विद्यालय, कैमूर।
- (2) सिटी सेन्ट्रल हाई स्कूल, जितवारिया कल्याणपुर, समस्तीपुर।
- (3) मिथिला विद्यापीठ, अतिनन्दन बिहार, बैका, खोपा-अन्धठाढ़ी रोड़ मधुबनी।
- (4) लक्ष्मी राम नारायण विद्या संस्थान, भागलपुर।
- (5) विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, सन्हौला, भागलपुर।
- (6) में फलावर स्कूल, निसारपुरा पटना।
- (7) सेकेड हार्ट कन्वेंट स्कूल, शेरपुर दानापुर, पटना।
- (8) भारत भारती पब्लिक स्कूल, शिलजोरी चानन बांका।
- (9) इमेन्यूएल मिशन पब्लिक स्कूल, निहुरा, फुलवारीशरीफ, पटना।
- (10) रेसिडेंसियल इंडियन एकेडमी परैया गया।
- (11) संत जेवियर्स हाई स्कूल, औरंगाबाद।
- (12) पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल, गया।
- (13) एम0 सी0 मेमोरियल स्कूल, झझिहट चौक, पुपरी सीतामढ़ी।
- (14) डी0 ए0 भी0 पब्लिक स्कूल, नारायण नगर, नेवाजी टोला, चौक, छपरा सदर, सारण।
- (15) संस्कृति इण्टरनेशनल स्कूल, मैरवा, सिवान।
- (16) सुतारा मेही मिशन स्कूल, कुरसेला, कटिहार।



- (17) संत जेवियर्स कान्चेन्ट स्कूल, गौरगामा चौक, रखवाड़ी, मधुबनी।
- (18) श्री भगवान चिन्ता मणि स्कूल, विश्वंभरपुर, दरियापुर, सारण।
- (19) सोलन्की इन्टरनेशनल स्कूल, छपरा, सिवान।
- (20) मनेर पब्लिक स्कूल, पटना।
- (21) आर० बी० एस० वर्ल्ड स्कूल, पटना।
- (22) उर्सलाईन इंगलिश मिडियम स्कूल, कारीसाथ, भोजपुर।
- (23) एच० एन० आर० विद्या बिहार, बिनगामा, जलालपुर, समस्तीपुर।
- (24) डी० भी० एम० पब्लिक स्कूल, पकोलिया ढाला, खंडवारा, सिवान।
- (25) डी० भी० एम० ग्लोबल स्कूल, पापौर मुतूक छपरा, सिवान।
- (26) निर्मला कैथलिक स्कूल, त्रिबीरबन, यादोपुर, गोपालगंज।

प्रस्ताव संख्या-3

विद्यालयों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव जिसमें ग्रामीण क्षेत्र एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र के लिए भूमि 1.5 एकड़ से कम होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की सी० बी० एस० सी० ऐफलियेशन वायलॉज के कंडिका 3 में वर्णित प्रावधानानुसार 2 सेक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय। उक्त कोटि के विद्यालय निम्नवत है :-

क्र० चे० लि०

क्र०

- (1) (74) उज्जवल वर्ल्ड स्कूल, फुलवरीया बख्तियापुर, पटना।
- (2) (77) चार्टर इन्टरनेशनल हाई स्कूल वेलवाइन दिनारा रोहतास।
- (3) (94) शांति एशियाटिक स्कूल, विशुनपुर वसंत उर्फ सुभई, हाजीपुर (वैशाली)

प्रस्ताव संख्या-4

विद्यालयों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव जिसमें ग्रामीण क्षेत्र एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित भूमि 2 एकड़ से कम तथा 1.5 एकड़ या उससे अधिक जमीन होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया सी० बी० एस० सी० ऐफलियेशन वायलॉज के कंडिका 3 में वर्णित प्रावधानानुसार 3 सेक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय। उक्त कोटि के विद्यालय निम्नवत है :-

क्र० चे० लि०

क्र०

- (1) (16) लोटस पब्लिक स्कूल, शिवगंज, शिकारपुर, नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण।
- (2) (60) मोर्डन मिशन पब्लिक स्कूल, गुठनी बजार, सिवान।
- (3) (81) एस० पी० मेमोरियल पब्लिक स्कूल, रूपहारा, प० चम्पारण।
- (4) (89) नुनवत्ती पब्लिक स्कूल, मुशहरी मुजफ्फरपुर।
- (5) (90) सी० एम० डी० पब्लिक स्कूल, रधिया, अरेराज प० चम्पारण।
- (6) (102) सेकेड हार्ट मिशन स्कूल, जलालपुर, खालपुरा, छपरा
- (7) (103) होली फेमली स्कूल, गुरुकूल मोहिया, छपरा सारण।



प्रस्ताव संख्या-5

विद्यालय प्रबंधन से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत समिति द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरा, नया करमान टोला, आरा के नाम/स्थल परिवर्तन करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पत्र निर्गत किया जायेगा।

प्रस्ताव संख्या-6

विद्यालय प्रबंधन से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत समिति ज्ञानदीप केन्द्रीय विद्यालय, शाहपुर दानापुर, कैन्ट रोड दानापुर, पटना का नाम परिवर्तित कर ज्ञानदीप विद्यालय, शाहपुर दानापुर कैन्ट, पटना करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या-7

विद्यालय प्रबंधन से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत समिति द्वारा निम्नांकित विद्यालयों के संबंध में शुद्धि पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।


- (1) जी0 डी0 गोयंका पब्लिक स्कूल, रसलपुर गया।
- (2) रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, बभना कटैया, जहानाबाद।


प्रस्ताव संख्या-8


विद्यालय प्रबंधन से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत समिति द्वारा जगत मिशन सिनियर सेकेण्ड्री स्कूल, खगौल, दानापुर का नाम होली मिशन सिनियर सेकेण्ड्री, कैन्ट रोड, खगौल दानापुर, पटना करने का अनुरोध विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 04.04.2006 के आलोक में कार्यपालक दण्डाधिकारी/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के समक्ष दायर शपथ पत्र नहीं रहने के कारण अवस्वीकृत किया गया।


प्रस्ताव संख्या-9


विद्यालय प्रबंधन से प्राप्त प्रतिवेदन एवं सी0 बी0 एस0 ई0 से प्राप्त पत्र संख्यां C.B.S.E/AFF/330420/2017/1288236 दिनांक 11.08.2017 के समीक्षोपरांत समिति द्वारा शिवम कान्चेट स्कूल, कंकरबाग, पटना को दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने का निर्णय लिया गया।


उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना।


विशेष निदेशक (मौलिक)
बिहार, पटना।


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना।


प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।


18/9/17
माननीय मंत्री
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

अनुलग्नक:-01

पत्रांक:-10/न-../2017.....

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक.....

विषय:- (विद्यालय का नाम एवं पता.....) को CBSE बोर्ड, नई दिल्ली से संबंधता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि (विद्यालय का नाम एवं पता.....) को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिये गये शपथ-पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों एवं जांच समिति के प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई:-

1. यह विद्यालय (ट्रस्ट का नाम.....) के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को भूमि वर्षों लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं।
4. विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति है। विद्यालय में (कुल) शिक्षक है। सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक-04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार:-

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत नि: शुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत

पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष रूपया 2,00,000 /- (दो लाख रूपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही सी० बी० एस० ई०, को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक-18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्तों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार (विद्यालय का नाम एवं पता.....) को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

विवासभाजन

(.....)

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक :-10/न-.../2017

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक :-10/न-0.../2017.....

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, (विद्यालय का नाम एवं पता.....) सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक:-02

पत्रांक:-10/न-.../2017.....

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में

The Chief Executive and secretary
Council for the Indian School
Certificate Examination
Pragati House, 3rd Floor
47-48 Nehru Place New Delhi-110019.

पटना, दिनांक.....

विषय:-

(विद्यालय का नाम एवं पता.....) को C.I.S.C.E बोर्ड, नई दिल्ली से संबंधता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि (विद्यालय का नाम एवं पता.....) को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिये गये शपथ-पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों एवं जांच समिति के प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई:-

1. यह विद्यालय (ट्रस्ट का नाम.....) के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को भूमि वर्षों लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध हैं। C.I.S.C.E को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
4. विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति है। विद्यालय में (कुल) शिक्षक है। C.I.S.C.E, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे C.I.S.C.E, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक-04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार:-

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निः शुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत

पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष रूपया 2,00,000 /- (दो लाख रूपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलामीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी C.I.S.C.E, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही C.I.S.C.E को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक-18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्तों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार (विद्यालय का नाम एवं पता.....)को C.I.S.C.E, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

विवासभाजन

(.....)

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक :-10/न-.../2017

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, (माध्यमिक

शिक्षा)

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक :-10/न-0.../2017.....

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, (विद्यालय का नाम एवं पता.....) सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)